छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष नंबर : 0771–2445611 फैक्स नंबर : 2424017

विपणन संघ मुख्यालय में केंटीन संचालन बाबत् निविदा प्रपत्र

निविदा फॉर्म शुल्क – 500/–

कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय रायपुर (छ.ग.)

विपणन संघ मुख्यालय में केंटीन संचालन बाबत् निविदा प्रपत्र

1.	निविदाकर्ता का नाम व पता	श्री / सुश्री..... पिता / पति का नाम.....
2.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पूर्ण पता	....
3.	जिला का नाम	.....
4.	निविदा फार्म का मूल्य	रूपये 500.00 / – (वस्तु एवं सेवा कर सहित) (अक्षरी पांच सौ रूपये मात्र)
5.	निविदा फार्म नगद क्रय की जानकारी	मनी रसीद नंबर .....दिनांक.....
6.	यदि वेबसाईट से डाउन लोड किया गया है तो संलग्न ड्राफ्ट का विवरण	ड्राफ्ट नंबर..... दिनांक..... बैंक का नाम.....
7.	निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 09.05.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे तक।
8.	निविदा को खोले जाने का दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 09.05.2018 अपरान्ह 3.00 बजे। स्थान – छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. छठवीं मंजिल, सी.बी.डी. कॉम्प्लेक्स, सेक्टर – 21, नया रायपुर (छ.ग.)

टिप्पणी

1. यदि निविदा खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये समय एवं स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. यह निविदा फार्म अहस्तांतरणीय है, निविदाकार द्वारा निविदा टेंडर बॉक्स में डाला जावेगा।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

क्रमश:.....2

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मुख्यालय में केन्टीन संचालन के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली अनुबंध के भाग होंगे :–

1. विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर–21, नया रायपुर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छठवीं मंजिल मे केन्टीन संचालन हेतु एक वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुए लाईसेंस प्रदाय किया जायेगा।

2. निविदाकार द्वारा दी गई रियायती दर के आधार पर न्यूनतम निविदा दर का निर्धारण किया जावेगा। निविदा के वित्तीय प्रपत्र मे निविदाकार द्वारा वास्तविक मूल्य एवं रियायती मूल्य भरा जावे, जिस निविदाकार की रियायती दर न्यूनतम होगी उससे निगोसिएशन उपरांत कार्यादेश जारी किया जायेगा।

3. विपणन संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में जिसमें एक तकनीकी लिफाफा (निविदा दस्तावेज के भाग "क") को एक बड़े लिफाफे मे बंद कर एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (निविदा दस्तावेज का भाग "ख") अलग–अलग होगा तथा तकनीकी लिफाफा एवं वित्तीय लिफाफा को एक बड़े लिफाफा में बंद कर निविदा प्रस्तुत करना होगा।

4. **निविदाकर्ता निविदा के साथ अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी लिफाफा में संलग्न करें :–**

4.1 निविदा फॉर्म का शुल्क 500/– रूपये है। यदि निविदा फार्म विपणन संघ के वेबसाईट से डाउनलोड किया गया है तो निविदा फार्म का शुल्क 500/– का पृथक से डी.डी.संलग्न करना होगा, या विपणन संघ मुख्यालय से रूपये 500/– जमा कर दिनांक ..... से दिनांक ..... तक किसी भी कार्यालय दिवस मे कार्यालयीन समय मे प्राप्त किया जा सकता है।

4.2 निविदा के साथ अमानत राशि 10000.00 रूपये किसी अधिसूचित बैंक का डिमांड ड्रफ्ट जो छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मुख्यालय रायपुर के नाम से देय होगा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4.3 निविदाकार के पास किसी शासकीय/अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था में केंटिन संचालन का लायसेंस होना अनिवार्य है तथा निविदा के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

5. निविदाकार को निविदा फार्म भरने के पूर्व विपणन संघ मुख्यालय नया रायपुर के लिए आवागमन स्थान तथा स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में भली–भांति अवलोकन कर आश्वस्त हो लेना चाहिये, दर स्वीकृति उपरान्त उक्त आधारों पर स्वीकृति दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। निविदाकारों से अपेक्षा है कि निविदा भरने के पूर्व उपरोक्त जानकारी का भी भली–भांति अध्ययन कर लें।

क्रमशः.....3

6. विपणन संघ मुख्यालय पर अपना सम्पर्क कार्यालय और कार्यरत प्रतिनिधि रखना होगा, जिसका नाम, पता, मोबाईल नंबर, प्रमाणित हस्ताक्षर एवं छायाचित्र अनुबंध के साथ प्रमाणित कर मुख्यालय को प्रस्तुत करना होगा। निविदाकर्ता द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक/कर्मचारी को भुगतान करने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी तथा उसके भविष्य निधि उपादान अन्य समस्त वैधानिक दायित्वों आदि के भुगतान का दायित्व भी निविदाकर्ता का होगा।

7. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत तकनीकी लिफाफा सही पाये जाने पर ही वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा।

8. निविदा में प्रस्तुत अभिलेखों पर निविदाकर्ता को हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

9. **<u>निविदा फार्म भरने के दिशा निर्देश</u> :–**

9.1 निविदाकार निविदा फार्म निरंतर एवं विधिवत पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। निविदा फार्म का मूल्य 500/– रूपये (वस्तु एवं सेवा कर सहित) होगा। जो नगद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

9.2 निविदा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक एवं समय निविदा फार्म में अंकित है। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।

9.3 असफल निविदाकार की जमा अमानत राशि दर स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण होने पर वापस कर दी जावेगी। इस अवधि का कोई भी ब्याज विपणन संघ द्वारा देय नहीं होगा।

9.4 सफल निविदाकार द्वारा निविदा के साथ जमा अमानत राशि उसके द्वारा संबंधित इकाई से अनुबंध न करने के फलस्वरूप जप्त होती है तो ऐसे निविदाकार विपणन संघ की किसी भी इकाई के निविदा में 2 वर्ष के लिए भाग नहीं ले सकेगें।

10. **<u>निविदा निष्पादित करना</u> :–**

विपणन संघ के इकाई द्वारा जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी उसे विपणन संघ की ओर से सूचना मिलने पर अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में विपणन संघ द्वारा निर्धारित संविदा 50.00 रूपये (पचास रूपये) के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर वांछित कागजात के साथ विपणन संघ मुख्यालय में अनुबंध निष्पादित करना आवश्यक होगा।

कमशः.....4

11. **विविध** :–

11.1 विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर–21, नया रायपुर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छठवीं मंजिल मे केन्टीन संचालन हेतु एक वर्ष के लिए निर्धारित शर्तों के तहत् निविदा आमंत्रित की गई है।

11.2 अनुबंध के निष्पादन के उपरांत सम्पत्ति का आधिपत्य "जहॉ है जैसी है" के आधार पर सेवा प्रदाता को दिया जायेगा।

11.3 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति का उपयोग केंटीन व्यवसाय के लिए किया जावेगा। संपत्ति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नही किया जायेगा जो सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्ति जनक हो।

11.4 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति या उसके आसपास मादक पदार्थों का उपयोग या मद्यपान, संग्रह विक्रय प्रतिबंधित होगा। इसके उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

11.5 निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति एवं उसके परिवेश को हर समय साफ–सुथरा रखने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।

11.6 निविदाकार को स्वास्थ्य संबंधी मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।

11.7 निविदाकार को सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर इस कार्य के लिए उपयुक्त मानदण्ड के अनुसार रखना होगा। यदि यह पाया गया कि सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर अच्छा नही होगा तो उसे सुधारने के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। यदि इस अवधि में उचित सुधार नही किया जाता है तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

11.8 निविदाकार को छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जल, इलेक्ट्रीसिटी एवं फर्नीचर उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त प्रदत्त सुविधाओं के लिए निविदाकार रियायती दर पर खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध करायेगा। **इस हेतु वित्तीय निविदा में वास्तविक दर एवं रियायती दर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।**

11.9 निविदाकार द्वारा सचिव, छ. ग. राज्य सह. विप. संघ की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन नही किया जायेगा।

11.10 निविदाकार को अपने व्यवसाय का संचालन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि परिसर का उपयोग करने वाले अन्य लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

11.11 निविदाकार के अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व कार्य समाप्त होने पर निविदाकार अपनी सामग्री एवं संपत्ति स्थान से अपने व्यय पर हटा लेगा एवं संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा। अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।

कमशः.....5

11.12 निविदाकार, अनुबंध पर दी गयी अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, बंधक, दान या अन्य प्रकार से हस्तांतरण या अंतरण नही करेगा।

11.13 निविदाकार, भू–खंड, या उस पर निर्मित संरचना या उसके किसी भाग में, सचिव, छ.ग.राज्य सह.विप.संघ की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई साइन बोर्ड, स्काई साइन, निऑन साइन, या अन्य विज्ञापन नहीं लगायेगा न प्रदर्शित करेगा और न ही किसी अन्य को लगाने या प्रदर्शित करने देगा। अनुज्ञा ऐसे शर्तों और दर के भुगतान पर प्रदान की जायेगी जैसा कि सचिव, छ.ग.राज्य सह.विप.संघ द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जावें।

11.14 निविदाकार के द्वारा अचल संपत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किये जावेगा, जिस हेतु उसे प्राप्त किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा है जिसके लिये उसे प्रदान किया गया है तो सचिव, छ.ग.राज्य सह.विप.संघ को भुगतान की गयी राशि प्रतिदेय नहीं होगी।

11.15 निविदाकार द्वारा अनुबंध पर आबंटित किये गये संपत्ति का उप विभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा।

11.16 निविदाकार, कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जो निविदाकार को देना/करना अपेक्षित है, समुचित रूप से दी गयी अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह निविदाकार को संपत्ति के पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गयी अथवा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गयी है, डाक के माध्यम से पहुंचाई गयी मानी जायेगी।

11.17 निविदाकार द्वारा केन्टीन प्रतिदिन कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक एवं अवकाश के दिनों में आवश्यकतानुसार विपणन संघ के बैठको में खाद्य एवं पेय पदार्थो के विक्रय एवं प्रदाय हेतु खुला रखना होगा।

11.18 निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा केन्टीन संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति निम्न अर्हताओं के अंतर्गत की गई है–

i. स्टाफ के समस्त सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।

ii. स्टाफ के समस्त सदस्यों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।

iii. स्टाफ के पास पंजीकृत मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिवत मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिये।

iv. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को विधिवत परिचय पत्र जारी किया जाना आवश्यक है।

क्रमशः.....6

v. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य का नाम सहित कॉमन यूनिफार्म होनी चाहिये।

vi. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य स्टाफ के ही दूसरे सदस्यों एवं ग्राहको से व्यवहार में मृदुभाषी होना चाहिये।

vii. सर्विस स्टाफ के द्वारा दस्तानों का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

viii. किचन की सतह हमेशा साफ–सुथरी होनी चाहिये एवं किसी भी प्रकार की Greasy Surfaces से मुक्त होनी चाहिये।

ix. स्टाफ के सदस्यों के वेतन एवं अलाउंस (Allowance) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी (Sole responsibility) सेवा प्रदाता की होगी।

11.19 निविदाकार द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थो की गुणवत्ता एवं मात्रा का नियमानुसार पालन करना होगा जिसकी जांच समय–समय पर छ.ग.राज्य सह.विप.संघ के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा की जावेंगी।

11.20 निविदाकार को बिल तैयार करने हेतु GST प्राप्त करना होगा।

11.21 निविदाकार द्वारा केन्टीन के संचालन हेतु विधि के नियमों के अनुरूप विभिन्न विभागों से आवश्यक सर्टिफिकेट/अनुमति निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करनी होगी। जैसे कि – FSSAI Acts के अंतर्गत फुड लायसेंस इत्यादि।

11.22 निविदाकार को खाद्य एवं पेय पदार्थो की निर्धारित दर एवं मात्रा को सूचना पटल में निर्धारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।

11.23 निविदाकार द्वारा केंटीन में सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू करना होगा।

11.24 निविदाकार द्वारा अपने ग्राहकों को नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिन्टेड बिल/रिसिप्ट प्रदान करना होगा।

11.25 निविदाकार द्वारा कैशलेस भुगतान के लिये आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

11.26 निविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु सुरक्षा के समस्त आवश्यक उपाय केन्टीन के सुचारू संचालन हेतु निविदाकार द्वारा किये जायेंगे।

11.27 निविदाकार द्वारा नियमित तौर पर पेस्ट कन्ट्रोल किया जावेगा।

11.28 निविदाकार द्वारा स्वच्छता एवं साफ–सफाई की दृष्टि से प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थ (Garbage) को एकत्रित किया जाना एवं उनका विधिवत डिस्पोजल किये जाने की की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

क्रमशः.....7

11.29 निविदाकार द्वारा केन्टीन में अतिथियों एवं ग्राहको से फीडबैक लिये जाने हेतु विजिटर बुक रखा जाना अनिवार्य है।

11.30 निविदाकार द्वारा केन्टीन की नियमित साफ–सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। प्रतिदिन साफ–सफाई के अलावा प्रत्येक शनिवार को केन्टीन परिसर (Canteen Premises) की पानी से धुलाई किया जाना आवश्यक है।

11.31 निविदाकार बिना किसी संशय के पूर्णतः इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी के संदर्भ में रोजगार देने हेतु तय किये गये समस्त विधि एवं नियमों के पालन की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। शासन अथवा उसके किसी संस्था अथवा नगरपालिका संस्थानों द्वारा जारी सभी प्रकार के विधि, आर्डिनेन्स, नियम, उप–नियम, रेगुलेशन्स, नोटिफिकेशन्स, गाइड लाईन्स, पालिसी निर्देश इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी भी निविदाकार की होगी।

11.32 निविदाकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मामले में लापरवाही बरते जाने पर या ग्राहक की प्रतिष्ठा अथवा सेवा में लापरवाही बरतने पर आवश्यक कार्यवाही किया जा सकता है,जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए सेवा से वंचित किया जाना शामिल है।

11.33 निविदाकार यदि (कैन्टीन आपरेटर) सेवा प्रदान करने में पूर्णतः असफल रहता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि अन्य दूसरे कैन्टीन आपरेटर के साथ उसी मूल्य और जिम्मेदारी के साथ सेवा संपादित कराये।

11.34 अनुबंध की शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदाकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओं/खाद्य एवं पेय पदार्थ की गुणवत्ता मे कमी पाई जाती है, तो उक्त संबंध मे सूचना के आधार पर प्रबंध संचालक की अनुमति/अनुशंसा पर सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

उक्त शर्तों के अंतर्गत नया रायपुर के सेक्टर–21, सी.बी.डी. कॉम्पलेक्स नया रायपुर में केन्टीन हेतु 47 वर्ग मीटर स्थल में व्यवसाय संचालन के लिए अनुबंध उभय पक्षों की सहमति से निष्पादित किया जाता है।

कमशः.....8

भाग – "क"

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

विपणन संघ मुख्यालय में केंटीन संचालन बाबत् निविदा प्रपत्र

1. हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1.1. निविदाकार का पूरा नाम व पता .....

.....

.....

1.2. दूरभाष कमांक कार्यालय निवास .....

.....

1.3. निविदाकार की फर्म का स्वरूप .....
(फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दू अविभाजित परिवार)

1.4. यदि भागीदारी फर्म है तो समस्त भागीदारों .....
के नाम/पते (भागीदारी विलेख की प्रमाणित .....
प्रति संलग्न करें)

1.5. फर्म की स्थापना, पंजीयन कमांक एवं दिनांक .....
(सत्यप्रतिलिपि संलग्न करें)

1.6 वर्तमान में किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य .....
संस्था में केंटिन संचालन कर रहें, तो विवरण दें .....

1.7 निर्धारित जमा की गई अमानत राशि .....
का विवरण (संलग्न करे)

रूपये कुल.....

बैंक ड्राफ्ट नंबर.....

बैंक का नाम.....

1.8 निविदा फार्म हेतु प्रस्तुत की गई डी.डी. का
विवरण (संलग्न करें)

रू.....500/–

बैंक ड्राफ्ट क.....दि.....

बैंक का नाम.....

2 हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....

स्थान.....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

हैसियत .....

मुहर .....

कमशः.....9

भाग–ख
(वित्तीय लिफाफा हेतु)
कार्यालय छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ मुख्यालय केंटीन में बनाये जाने वाले खाद्य सामाग्रियों का विवरण

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	वास्तविक दर (रूपये में)	रियायती दर (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कॉफी फिल्टर	120 एम.एल.		
2	नेसकॉफी	100 एम.एल.		
3	हॉट कॉफी	100 एम.एल.		
4	कोल्ड कॉफी	250 एम.एल.		
5	चाय स्पेशल	60 एम.एल.		
6	चाय	100 एम.एल.		
7	डिप चाय	100 एम.एल.		
8	पोहा	100 ग्राम		
9	जलेबी	एक प्लेट		
10	सादा दोसा, चटनी–सांभर पृथक से	100 ग्राम		
11	मसाला दोसा, चटनी–सांभर पृथक से	140 ग्राम		
12	उत्पम, चटनी–सांभर पृथक से	160 ग्राम		
13	इडली–2 पीस, ,चटनी–सांभर पृथक से	120 ग्राम		
14	दहीं बड़ा –2 पीस	एक प्लेट		
15	सांभर बड़ा–2 पीस, चटनी–सांभर पृथक से	एक प्लेट		
16	समोसा	50 ग्राम		
17	मूंग बड़ा	100 ग्राम		
18	दही समोसा	एक प्लेट		
19	दही कचौड़ी	एक प्लेट		
20	वेजीटेबल कटलेट–एक पीस	70 ग्राम		
21	वेजीटेबल सेंडविच	70 ग्राम		
22	ब्रेड पकोड़ा	40 ग्राम		
23	भजिया	60 ग्राम		

कमशः ...10

क्र.	खाद्य सामग्री का नाम	मात्रा	वास्तविक दर (रूपये में)	रियायती दर (रूपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
24	लंच थाली–तवा रोटी 4, चावल, वेजकरी, दाल, ड्राय सब्जी, दही, आचार, पापड़–1	प्रति थाली		
25	मिनी स्पेशल थाली–तवा बटर रोटी 4, चावल, दाल फ्राई, ड्राय सब्जी, पनीर सब्जी, दही, आचार, पापड़–1, मिठाई–1	प्रति थाली		
26	स्पेशल थाली–तवा बटर रोटी 4, जीरा राईस, दाल फ्राई, ड्राय सब्जी, पनीर सब्जी, रायता, दही, आचार, पापड़–1, मिठाई–1	प्रति थाली		
27	लंच पैकेट –तवा बटर रोटी–4, चावल, दाल फ्राई, ड्राय सब्जी, पनीर सब्जी, रायता, सीजनल सब्जी, दही, आचार, पापड़–1, मिठाई–1	प्रति पैकेट		

टीपः– 1. निविदाकार द्वारा दी गई रियायती दर के आधार पर न्यूनतम दर की गणना की जावेगी।

2. उपरोक्त खाद्य सामग्रियों के अतिरिक्त निविदाकार द्वारा सील पैक्ड खाद्य एवं पेय पदार्थ यथाः– बिस्किट, चिप्स, कोलड्रींक, जूस, दूध, लस्सी, छांछ आदि अपनी आवश्यकता अनुरूप रख सकता है।

दिनांक .....

स्थान .....

निविदाकार का नाम

हस्ताक्षर व सील

क्रमशः.....11

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसका मुख्यालय छठवीं मंजिल, सी.बी.डी. कॉम्प्लेक्स, सेक्टर–21, नया रायपुर में है, जिसे आगे विपणन संघ के नाम से संबोधित किया है, कि ओर से पक्ष 01 सचिव..... अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर तथा पक्ष 02 मेसर्स.....की ओर से श्री..... वल्द..... जिला..... के निवासी है, जिसे की आगे निविदाकार के नाम से संबोधित किया गया है, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि, निविदाकार द्वारा विपणन संघ में दिनांक .....2018 से दिनांक ..... 2018 तक की अवधि के इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों एवं शर्तों को स्वीकार किया गया हैं।

1. विपणन संघ मुख्यालय, सेक्टर–21, नया रायपुर के सी.बी.डी. काम्प्लेक्स के छठवीं मंजिल मे केन्टीन संचालन हेतु एक वर्ष के लिए निर्धारित शर्तों के तहत् निविदा आमंत्रित की गई है।
2. अनुबंध के निष्पादन के उपरांत सम्पत्ति का आधिपत्य ''जहॉ है जैसी है'' के आधार पर सेवा प्रदाता को दिया जायेगा।
3. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति का उपयोग केंटीन व्यवसाय के लिए किया जावेगा। संपत्ति का उपयोग ऐसे किसी भी कार्य के लिए नही किया जायेगा जो सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से आपत्ति जनक हो।
4. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति या उसके आसपास मादक पदार्थों का उपयोग या मद्यपान, संग्रह विक्रय प्रतिबंधित होगा। इसके उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
5. निविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतर्गत आबंटित संपत्ति एवं उसके परिवेश को हर समय साफ–सुथरा रखने का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा।
6. निविदाकार का स्वास्थ्य संबंधी मानदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. निविदाकार को सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर इस कार्य के लिए उपयुक्त मानदण्ड के अनुसार रखना होगा। यदि यह पाया गया कि सेवाओं की गुणवत्ता का स्तर अच्छा नहीं है तो उसे सुधारने के लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। यदि इस अवधि में उचित सुधार नही किया जाता तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।
8. निविदाकार को छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा जल, इलेक्ट्रीसिटी एवं फर्नीचर उपलब्ध कराई जावेगी। उक्त प्रदत्त सुविधाओं के लिए निविदाकार रियायती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायेगा। इस हेतु वित्तीय निविदा में वास्तविक दर एवं रियायती दर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

कमशः.....12

9. निविदाकार द्वारा सचिव, छ.ग.राज्य सह.विप.संघ की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण, परिवर्तन, परिवर्धन नही किया जायेगा।
10. निविदाकार को अपने व्यवसाय का संचालन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि परिसर का उपयोग करने वाले अन्य लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
11. निविदाकार के अनुबंध की अवधि समाप्त होने या उसके पूर्व कार्य समाप्त होने पर निविदाकार अपनी सामग्री एवं संपत्ति स्थान से अपने व्यय पर हटा लेगा एवं संपत्ति का कब्जा वापस सौंपेगा। अनुबंध के लिए जमा की गई राशि वापस नहीं की जायेगी।
12. निविदाकार, अनुबंध पर दी गयी अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, बंधक, दान या अन्य प्रकार से हस्तांतरण या अंतरण नही करेगा।
13. निविदाकार, भू–खंड, या उस पर निर्मित संरचना या उसके किसी भाग में, सचिव, छ.ग.राज्य सह.विप.संघ की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई साइन बोर्ड, स्काई साइन, निऑन साइन, या अन्य विज्ञापन नहीं लगायेगा न प्रदर्शित करेगा और न ही किसी अन्य को लगाने या प्रदर्शित करने देगा। अनुज्ञा ऐसे शर्तों और दर के भुगतान पर प्रदान की जायेगी जैसा कि सचिव, छ. ग. राज्य सह. विप. संघ द्वारा समय–समय पर विनिश्चय किया जावे।
14. निविदाकार को द्वारा अचल संपत्ति का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किये जावेगा, जिस हेतु उसे प्राप्त किया गया है। यदि यह पाया जाता है कि संपत्ति का उपयोग उस प्रयोजन के लिये नहीं किया जा रहा है जिसके लिये उसे प्रदान किया गया है तो सचिव, छ.ग.राज्य सह.विप.संघ को भुगतान की गयी राशि प्रतिदेय नहीं होगी।
15. निविदाकार द्वारा अनुबंध पर आबंटित किये गये संपत्ति का उपविभाजन अनुज्ञेय नहीं होगा।
16. निविदाकार कोई सूचना अथवा भुगतान के लिए मांग जो निविदाकार को देना/करना अपेक्षित है, समुचित रूप से दी गयी अथवा की गई समझी जायेगी यदि वह निविदाकार को संपत्ति के पते पर डाक से पंजीकृत पत्र के द्वारा भेजी गयी अथवा ऐसी सूचना या भुगतान के लिए मांग डाक द्वारा भेजी गयी है, डाक के माध्यम से पहुंचाई गयी मानी जायेगी।
17. निविदाकार द्वारा केन्टीन प्रतिदिन कार्यालय दिवस में प्रातः 10.00 बजे से शाम 07.00 बजे तक एवं अवकाश के दिनों में आवश्यकतानुसार विपणन संघ के बैठको में खाद्य एवं पेय पदार्थो के विक्रय एवं प्रदाय हेतु खुला रखना होगा।
18. निविदाकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा केन्टीन संचालन हेतु पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति निम्न अर्हताओं के अंतर्गत की गई है–
    i. स्टाफ के समस्त सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये।
    ii. स्टाफ के समस्त सदस्यों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा।
    iii. स्टाफ के पास पंजीकृत मेडिकल प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिवत मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिये।
    iv. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को विधिवत परिचय पत्र जारी किया जाना आवश्यक है।
    v. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य का नाम सहित कॉमन यूनिफार्म होना चाहिये।

कमशः.....13

vi. स्टाफ के प्रत्येक सदस्य स्टाफ के ही दूसरे सदस्यों एवं ग्राहको से व्यवहार में मृदुभाषी होना चाहिये।

vii. सर्विस स्टाफ के द्वारा दस्तानों का उपयोग किया जाना आवश्यक है।

viii. किचन की सतह हमेशा साफ–सुथरी होनी चाहिये एवं किसी भी प्रकार की Greasy Surface से मुक्त होनी चाहिये।

ix. स्टाफ के सदस्यों के वेतन एवं अलाउंस (Allowance) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी (Sole responsipility) सेवाप्रदाता की होगी।

19. निविदाकार द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थो की गुणवत्ता एवं मात्रा का नियमानुसार पालन करना होगा जिसकी जांच समय–समय पर छ. ग. राज्य सह. विप. संघ के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारी की जावेगी।

20. निविदाकार को बिल तैयार करने हेतु GST प्राप्त करना होगा।

21. निविदाकार द्वारा केन्टीन के संचालन हेतु विधि के नियमों के अनुरूप विभिन्न विभागों से आवश्यक सर्टिफिकेट/अनुमति निर्धारित प्रारूप में प्राप्त करनी होगी। जैसे कि – FSSAI Acts के अंतर्गत फुड लायसेंस इत्यादि।

22. निविदाकार द्वारा पानी एवं बिजली का मासिक उपभोग के आधार पर बिल का भुगतान करना होगा।

23. निंविदाकार को खाद्य एवं पेय पदार्थो की निर्धारित दर एवं मात्रा को सूचनापटल में निर्धारित प्रारूप में चस्पा किया जाना आवश्यक होगा।

24. निविदाकार द्वारा केंटीन में सेल्फ सर्विस सिस्टम लागू करना होगा।

25. निविदाकार द्वारा अपने ग्राहकों को नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रिन्टेड बिल/रिसिप्ट प्रदान करना होगा।

26. निविदाकार द्वारा कैशलेस भुगतान के लिये आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

27. निविदाकार द्वारा अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। इस हेतु सुरक्षा के समस्त आवश्यक उपाय केन्टीन के सुचारू संचालन हेतु निविदाकार द्वारा किये जायेंगे।

28. निविदाकार द्वारा नियमित तौर पर पेस्ट कन्ट्रोल किया जावेगा।

29. निविदाकार द्वारा स्वच्छता एवं साफ–सफाई की दृष्टि से प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थ (Garbage) का एकत्रित किया जाना एवं उनका विधिवत डिस्पोजल किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

30. निविदाकार द्वारा केन्टीन में अतिथियों एवं ग्राहको से फीडबैक लिये जाने हेतु विजिटर बुक रखा जाना अनिवार्य है।

31. निविदाकार द्वारा केन्टीन की नियमित साफ सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी। प्रतिदिन साफ–सफाई के अलावा प्रत्येक शनिवार को केन्टीन परिसर (Canteen Premises) की पानी से धुलाई किया जाना आवश्यक है।

कमशः.....14

32. निविदाकार बिना किसी संशय के पूर्णतः इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसके द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारी के संदर्भ में रोजगार देने हेतु तय किये गये समस्त विधि एवं नियमों के पालन की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। शासन अथवा उसके किसी संस्था अथवा नगरपालिका संस्थानों द्वारा जारी सभी प्रकार के विधि, आर्डिनेन्स, नियम, उप–नियम, रेगुलेशन्स, नोटिफिकेशन्स, गाइड लाईन्स, पालिसी निर्देश इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी भी निविदाकार की होगी।

33. निविदाकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मामले में लापरवाही बरते जाने पर या ग्राहक की प्रतिष्ठा अथवा सेवा में लापरवाही बरतने पर आवश्यक कार्यवाही किया जा सकता है,जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए सेवा से वंचित किया जाना शामिल है।

34. निविदाकार यदि (कैन्टीन आपरेटर) सेवा प्रदान करने में पूर्णतः असफल रहता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि अन्य दूसरे कैन्टीन आपरेटर के साथ उसी मूल्य और जिम्मेदारी के साथ सेवा संपादित कराये।

35. अनुबंध की शर्तों में कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रबंध संचालक विपणन संघ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। निविदाकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान प्रदाय की जा रही सेवाओं/खाद्य सामग्री की गुणवत्ता मे कमीं पाई जाती है तो उक्त संबंध मे सूचना के आधार पर प्रबंध संचालक की अनुमति/अनुशंसा पर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

उक्त शर्तों के अंतर्गत नया रायपुर के सेक्टर–21, सी.बी.डी. कॉम्पलेक्स नया रायपुर में केन्टीन हेतु 47 वर्ग मीटर स्थल में व्यवसाय संचालन के लिए लाईसेंस का अनुबंध उभय पक्षों की सहमति से निष्पादित किया जाता है।

हस्ताक्षर एवं सील़

हस्ताक्षर एवं सील़

सचिव
छ.ग. राज्य सह. विप. संघ मर्या.
मुख्यालय रायपुर

फर्म का नाम – .....

पता – .....

.....